न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, उत्पाद– 3 , पटना
उत्पाद थाना पटना

धाराः– 37 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच रिपोर्ट समर्पित किया गया।

अनुसंधानकत्र द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अधीन संज्ञान लेता हुं।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि शराब के संवन में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। जिसे सुनकर अभियुक्त/अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवचन किया है। अभियुक्त / अभियुक्तों को दोषी होने के अभिवचन के परिणामों से अवगत कराया गया। किन्तु उसके बाद भी उन्होंने अपने दोषी होने का अभिवचन किया है। अभियुक्त/अभियुक्तों को बयान लिया गया।

चूंकि अभियुक्त / अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवचन किया है। अतः मैं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हुं कि उसके विरुद्ध आरोप सुधारित होता है।

इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा–37 के अधीन अभियुक्तों पर 2500/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा अभियुक्त/अभियुक्तों के द्वारा उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर उसे /उन्हें 30 दिनों की अवधि के कारावदास का दंडादेश दिया जाता है।

विशेष न्यायाधीश, उत्पाद– 3
पटना।

बाद में

अभियुक्त के द्वारा नजारत, व्यवहार न्यायालय, पटना में रु0 2500/– (दो हजार पॉच सौ रु0) की अर्थदण्ड की राशि जमा करने के पश्चात् अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है एंव कर्यालय नियामानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जामा करें।

विशेष न्यायाधीश, उत्पाद– 3
पटना।